पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

ज्ञानेन्द्र नाथ बरतरिया

1947 के बाद से जिसे हम भारत के रूप में जानते हैं, वह वास्तविक, अविभाजित राजनैतिक भारत का एक बेहद विच्छिन्न मानचित्र है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उससे राजनीतिक तौर पर पृथक किए जा चुके हैं. यह भू-भाग इस्लाम के नाम पर राजनीतिक तौर पर अलग होने के बाद से, सांस्कृतिक तौर पर अलग होने के लिए बौखलाने लगे और वहां बचे-खुचे हिन्दुओं-सिखों को अपनी इस सांस्कृतिक हवस का निशाना बनाने लगे.

सीधी सी बात है, विस्तार आगे है, हिन्दू और सिख ही वह समुदाय हैं, जो उन्हें इस बात की याद दिलाने के लिए काफी थे कि वे अंततः उन हिन्दुओं की ही संतानें हैं, जो अतीत में इस्लाम कबूल कर चुके थे.

शायद इसका, शायद गजवा-ए-हिन्द की अपनी कल्पना का, शायद ऑपरेशन मदीना का, शायद अपनी कुंठा के निवारण का- या शायद इन सभी का एक ही मिलाजुला समाधान उनको नजर आता था कि जो बेबस हिन्दू उनके यहां रह गए हैं, उन पर अधिकतम संभव अत्याचार किए जाए.

हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को धार्मिक भेदभाव करने वाले देशों की गंभीर चिंता वाली सूची में रखा है. 2019 में 18 दिसंबर को किए गए इस निर्णय में चीन, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं. यह सूची 1998 के अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बनाई गई है और इस सूची में देशों को “धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन, व्यवस्थित और भयंकर उल्लंघन में संलग्न या उसके प्रति सहिष्णु” के रूप में शामिल किया गया है. इस श्रेणी के देशों पर वाशिंगटन आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है और उन पर और भी कार्रवाई कर सकता है. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर 2017 में “स्पेशल वॉच लिस्ट” में जोड़ा जाने वाला पाकिस्तान पहला और एकमात्र देश था.

धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का काम पाकिस्तान बहुत व्यस्थित ढंग से, और एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर करता है. सरकारी स्तर पर पाकिस्तान में एक ईशनिंदा कानून है, जो किसी को भी इस आधार पर मौत की सजा का हकदार बना देता है कि वह वास्तविक या काल्पनिक तौर पर अल्लाह पर, मुहम्मद पर या कुरान पर विश्वास नहीं करता है, और इससे अपनी असहमति जता देता है. वैसे कागज में इस कानून में कुछ और भी वाक्य लिखे हैं, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ इस्लाम को न मानने वालों पर निजी और सरकारी हिंसा का अधिकार-पत्र भर है.

सरकार और अदालत (?) के इस संरक्षण के साथ ही उन्मादी भीड़ को भी यह लाइसेंस मिल जाता है कि वह हिन्दुओं के प्रति मनमानी हिंसा, लूटमार, बलात्कार, जबरन इस्लाम कबूल करवाने के काम करे. उसे पता है कि उस पर अंकुश लगा सकने की हैसियत न सरकार की है, न अदालत की.

आसिया बीबी कांड ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. आसिया बीबी एक ईसाई महिला थी (पाकिस्तान में अनेक हिन्दू, जो अधिकांशतः दलित भी हैं, कई बार अपनी जान बचाने के लिए खुद को ईसाई नामों से पेश करते हैं).

गांव की रहे वाली आसिया बीबी खेत में काम कर रही थी, साथ काम करने वाली महिलाओं से उससे कुंए से पानी भर कर लाने को कहा. आसिया पानी ले आई, लेकिन उसने कुछ घूंट पानी पी भी लिया. एक दलित और गैर मुसलमान महिला द्वारा पानी पी लेने पर उन महिलाओं में तीखी कहासुनी हुई.

पांच दिन बाद, पुलिस ने आसिया को उसके घर से घसीटकर निकाला. पुलिस ने और भीड़ ने उसे गांव वालों और घर वालों के सामने बुरी तरह मारा-पीटा, और ईशनिंदा का मामला दर्ज कर दिया गया.

अदालत क्या करती? उसने आसिया को मौत की सजा सुना दी. आसिया पिछले नौ साल से वह जेल में काल कोठरी की सजा काट रही थी.

यह पाकिस्तान में रोजमर्रा की बात है, लेकिन आसिया बीबी का मामला थोड़ा उभर कर सामने आ गया. एक वजह यह भी थी कि उस समय के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने कह दिया था कि वे राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि आसिया को माफ कर दें. इस पर तासीर के ही बॉडीगार्ड मुमताज हुसैन कादरी ने तासीर के शरीर में 27 गोलियां उतार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. यह अन्तर्राष्ट्रीय खबर बनी.

फिर कादरी गिरफ्तार हुआ, तो लाहौर के वकीलों ने अदालत में पेश किए जाते समय उस पर फूल बरसाए. कादरी को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाने वाला जज फैसला सुनाते ही परिवार सहित पाकिस्तान छोड़ कर भाग गया. कादरी के जनाजे में लाखों की भीड़ शामिल हुई.

उधर कालकोठरी में नौ साल बिताने के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आसिया बीबी को रिहा करने का आदेश दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

सबूत न होने का कोई अर्थ ही नहीं होता है. ईशनिंदा के आरोप में हाल ही में सुनाई गई मौत की सजा के एक और मामले में अदालत ने यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर को सबूत न होने पर नहीं, सबूत प्रतिकूल होने पर भी मौत की सजा सुनाई है.

लिहाजा आसिया बीबी को रिहा करने का फैसला भी पाकिस्तान की कट्टरपंथी ब्रिगेड को कबूल नहीं हुआ. पाकिस्तान भर में, और खासतौर पर पंजाब में तुरंत भारी प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई. सेना से विद्रोह करने का आह्वान किया गया. इमरान खान सरकार को विरोधियों से सुलह का रास्ता अपनाना पड़ा.

ईशनिंदा कानून पर पाकिस्तानी अदालतों की स्थिति क्या है? पहली सीढ़ी वकील की होती है, और कुछ मामलों में, ईशनिंदा के आरोपी व्यक्तियों के परिवारों ने आरोप लगाया है कि सहमत होने और मोटी फीस वसूलने के बाद उनके वकीलों ने कार्यवाही बीच में ही छोड़ दी या जानबूझकर प्रतिवादी के मामले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. कई मामलों में वकीलों को चलते मुकदमे के दौरान ही मार डाला गया और उनकी हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दूसरी सीढ़ी जज की होती है. ट्रायल कोर्ट में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा करने के आरोपी एक व्यक्ति का बचाव करने वाले एक वकील ने आईसीजे को एक साक्षात्कार में बताया कि जब उसके मुवक्किल ने, जिस पर पैगंबर मोहम्मद की निंदा का आरोप लगाया गया था, अपनी गवाही में कहा कि उसके मन में पैगंबर मुहम्मद के लिए बहुत प्यार और सम्मान है और वह उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कह सकता है, तो ट्रायल जज ने टिप्पणी की कि अगर प्रतिवादी को पैगंबर मुहम्मद के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, तो उसने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया?

और ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी की गवाही को "विश्वसनीय" नहीं माना जा सकता है. जज ने निर्णय में लिखा कि यदि आरोपी का मानना है कि " (वह) पवित्र पैगंबर का सम्मान करता है... तो (आरोपी ने) अब तक (इस्लाम को क्यों नहीं अपनाया)?" ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई .

अगस्त 2000 में, लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नजीर अख्तर ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा कि "हम नबी के खिलाफ अपमान की दोषी हर जीभ को काट देंगे".

इन्हीं नजीर अख्तर ने 4 सितंबर 1999 को बयान दिया था कि ईशनिंदा के आरोपियों को बिना किसी मुकदमे के सजा दी जानी चाहिए या उन्हें मार दिया जाना चाहिए और इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान के इस जज का मानना है कि एक निंदक की आवाज को चुप कराना हर मुस्लिम का कर्तव्य है.

हिंदुओं को निशाना बनाने की प्रक्रिया और ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा क्रूर किस्म की है. इसमें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर नहीं होता है, और बेबस हिन्दू सब कुछ सहते हुए अपने दुर्भाग्य को कोसते रह जाते हैं. 1947 में विभाजन के समय, पाकिस्तान में लगभग 23% गैर-मुस्लिम नागरिक थे. आज, गैर-मुसलमानो की आबादी लगभग 3% रह गई है, पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटकर लगभग 1.5% रह गई है.

हिंदू लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन, खास तौर पर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए दैनिक जीवन की एक भयानक वास्तविकता है. एशियन ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में हर महीने हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की लगभग 20-25 घटनाएं घटती हैं.

धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (UNCIRF) ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 के दौरान पाकिस्तान में ईसाई, सिख, हिंदू और अहमदियों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी समूहों के हमलों और भेदभाव का निशाना बनाना जारी रहा है.

2017 के दौरान पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं में कम से कम 231 लोग मारे गए थे, जबकि कम से कम 691 लोग घायल हुए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, "पाकिस्तान की सरकार इन समूहों की रक्षा करने में पर्याप्त रूप से विफल रही, और इसने व्यवस्थित, चल रहे, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को रोक दिया."

रिपोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की उपस्थिति के बावजूद हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है, जो हिंदू नागरिकों के लिए पारिवारिक कानून का अधिकार प्रदान करता है.

इस वर्ष की शुरुआत में, कम से कम 500 हिंदुओं को , जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं, कट्टरपंथियों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था. उन्होंने न केवल उन्हें हिंदू से इस्लाम में शामिल होने के लिए मजबूर किया, बल्कि धर्म परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

पाकिस्तान की इस्लामिक हुकूमत में गैर-मुस्लिम नागरिकों को अलग और असमान नागरिक माना जाता है. पाकिस्तान का संविधान और कानून इस्लाम, सरकारी मजहब और मुसलमानो के लिए अत्यधिक पक्षपातपूर्ण और विशेषाधिकारपूर्ण हैं. हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित ढंग से और कानून के तहत अपमान और बहिष्कार किया जाता है. जैसे कि कोई गैर-मुस्लिम वकील संघीय शरीयत कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है. यह संवैधानिक प्रावधान है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम ही होना चाहिए. जिया उल हक सरकार ने अल्पसंख्यकों के मताधिकार को ही निरर्थक बना दिया था. उनके लिए चंद सीटें आरक्षित कर दी गई थीं, उसके अलावा उनका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था. राष्ट्रीय और स्थानीय चुनावों में मुस्लिम मतदाता अपने इलाके के मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालते हैं, जबकि गैर मुस्लिम वोट केवल गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच डाल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानो और गैर मुस्लिमों के लिए अलग-अलग निर्वाचक मंडल मौजूद हैं. मुख्यधारा के मुस्लिम दलों में गैर मुस्लिमों की भागीदारी नगण्य है.

सतत विकास नीति संस्थान (SDPI), इस्लामाबाद द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि "पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अधिकांश भाग में जो चार प्राथमिक विषय सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके से उभर कर सामने आते हैं ... वह यह हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानो के लिए है. सभी छात्रों को इस्लामियत जबरन पढ़ाई जाती है, चाहे उनकी अपनी आस्था कुछ भी हो. उनके लिए कुरान पढ़ना अनिवार्य है. पाकिस्तान की विचारधारा (आस्था) को पाकिस्तान के लोगों की आस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, और हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत पैदा की जानी चाहिए, और छात्रों

को जेहाद और शहादत का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि " भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाकिस्तान की विचारधारा पर जोर देने का एक अनिवार्य घटक है.... "

पाकिस्तान के लगभग 20 लाख हिंदुओं में से कई लोगों को अपने परिवारों की और अपनी खुद की सुरक्षा के ऐवज में जबरन वसूली करने वालों और स्थानीय नेताओं को फिरौती के रूप में नियमित रकम देने के लिए मजबूर होना पड़ता है. क्लर्क के पद से अधिक का कोई पद किसी हिंदू को प्राप्त नहीं हो सकता है. अगर हिंदू कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उन्हें आमतौर पर किसी मुस्लिम को भागीदार बनाना आवश्यक होता है, चाहे वह सक्रिय भागीदार न हो.

कई हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में सरकारी कार्यालयों में बदल कर अपवित्र, नष्ट या परिवर्तित कर दिया गया है. अकेले 1992 में, भारत में सांप्रदायिक दंगों के जवाब में, जिसमें पाकिस्तानी हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी, पाकिस्तान में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया. इन मंदिरों के पुनर्निर्माण के आधिकारिक वादों के बावजूद, कई मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है या नाममात्र की और दिखावटी काम हुआ है. हिंदू मंदिरों और जमीनों पर अवैध अतिक्रमण, हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अपहरण, अपहरण के मामलों में भारी फिरौती की मांग, और झूठे आरोपों पर हिंदुओं की लगातार गिरफ्तारियां पाकिस्तान में आम हो गई हैं.

स्थिति बांग्लादेश में भी भिन्न नहीं है. बांग्लादेश में भारी और बड़े छुरों से, जो मांस काटने में प्रयोग होते हैं, बंदूकों और बमों से हिन्दुओं पर हमले आम हैं. अंतर सिर्फ यह है कि यहां सरकार इन हत्याओं की नपी-तुली आलोचना कर देती है, लेकिन हमलों की जिम्मेदारी लेने वालों में इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, अंसार अल-इस्लाम, लश्कर-ए-तोइबा, अल्लाहर दल, अहले हदीथ अंदोलन बांग्लादेश और हिक्मत-उल-जिहाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी शामिल रहते हैं. इन संगठनों में रोहिंग्या आतंकवादी भी शामिल हैं. 22 फरवरी 2016 को इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश में भारत से सटे उत्तरी पंचगढ़ जिले के देबीगंज उप जिले के सोनपोटा गांव में एक हिंदू मंदिर के प्रधान पुजारी 50 वर्षीय जगनेश्वर राय की निर्मम हत्या करने की जिम्मेदारी ली. इस पुजारी की बिल्कुल उस शैली में हत्या की गई, जैसे मध्य पूर्व में हत्याएं की जाती रही हैं. इस हमले में दो हिंदू भक्तों को भी अधमरा कर दिया गया. हत्या के बाद आईएसआईएस ने अरबी भाषा में बयान जारी किया.

बांग्लादेश की स्थिति ऐसे समझें. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 28 फरवरी 2013 को जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष दिलावर हुसैन सईदी को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन- इस्लामिक छत्र शिबिर के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं पर हमला शुरु कर दिया. अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को लूटा गया, 20 जिलों में 1500 से ज्यादा हिंदू घरों को जलाकर राख कर दिया गया और 50 से अधिक हिंदू मंदिरों को उजाड़ कर आग लगा दी गई. अकेले चटगाँव और नोआखली में कम से कम 60 घरों, छह मंदिरों और कई दर्जन दुकानों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई. कीमती सामान और फर्नीचर लूट लिए गए. पुलिस कम से कम डेढ़ घंटे बाद तब आई, जब यह सब खत्म हो गया.

बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2017 में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के कम से कम 107 लोग मारे गए और 31 लोग लापता हो गए. यह संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार 2017 में हिंदू समुदाय के 782 लोगों को या तो देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया या देश छोड़ने की धमकी दी गई. 23 अन्य को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. कम से कम 25 हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, जबकि वर्ष 2017 के दौरान 235 मंदिरों और मूर्तियों के साथ बर्बरता हुई. 2017 में हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार के कुल 6474 मामले दर्ज हैं.

20 जून 2016 को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निवृतमान अध्यक्ष प्रोफेसर मिजानुर रहमान ने कहा- "(बांग्लादेश में) धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, मैं नहीं मानता कि उस पर सरकार की प्रतिक्रिया पर्याप्त है. अगर यह (इसी तरह) चलता रहा, तो 15 वर्ष के भीतर बांग्लादेश में एक भी हिन्दू नहीं बचेगा."

बांग्लादेश में हिन्दू जनसंख्या अब वहां की कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत रह गई है. फरवरी 1950 में हुए हिन्दुओं के नरसंहार के बावजूद, 1951 की जनगणना के अनुसार तब पूर्वी पाकिस्तान में 22 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन अक्टूबर 1958 में लगे मार्शल

लॉ शासन के दौरान उत्पीड़न और यातनाओं के बाद पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या में 3.5% की गिरावट आई और 1961 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या मात्र 18.5 प्रतिशत रह गई. बांग्लादेश बनने के बाद, 1974 में यह आंकड़ा घटकर 14 प्रतिशत रह गया. 1961-1974 के दौरान भी, 1971 में मुक्ति की लड़ाई सहित, हिंदू आबादी में 5% की गिरावट आई और 1974 में हिंदू जनसंख्या 13.5% पर आ गई और अंतिम 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में मात्र 8.4 प्रतिशत हिन्दू रह गए हैं. बांग्लादेश में आज हिंदू आबादी जिस गति से कम हो रही है, उसके मुताबिक 2050 तक बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां हिन्दुओं की आबादी उंगलियों पर गिनी जा सकेगी.

अगस्त 1975 में ढाका में तख्तापलट के बाद, 20 अगस्त 1975 को बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने स्वीकार किया था कि बांग्लादेश की इस्लामी सरकार के कारण हिंदू अल्पसंख्यक भी बांग्लादेश छोड़ सकते हैं, जो भारत के लिए आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा करेंगे.”

भारत इसे जानता था, लेकिन उसने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)